रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 187] नई दिल्ली, शनिवार, मई 23, 1981/ज्येष्ठ 2, 1903
No. 187] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23, 1981/JYAISTHA 2, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 149/81-सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 23 मई, 1981

सा. का. नि. 362 (अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 234

सीमा-शुल्क, तारीख 5 दिसम्बर, 1979 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "अपशिष्ट कागज" शब्दों के स्थान पर जहां दो स्थानों पर वे आए हैं "अपशिष्ट कागज या अपशिष्ट गत्ता" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 355/149/80-सी. शु.]
के. चन्द्रमौलि, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

No. 149-CUSTOMS/81

New Delhi, the 23rd May, 1981

G.S.R. 362(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 234-Customs dated 5th December, 1979, namely :—

In the said notification for the words "waste paper" in two places where there occur, the words "waste paper or waste paper board" shall be substituted.

[F. No. 355/149/80-Cus-I]
K. CHANDRAMOULI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981